रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062025-263905
CG-DL-E-18062025-263905

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2025/ज्येष्ठ 26, 1947
No. 156] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2025/JYAISTHA 26, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2025

मामला सं. एडी (ओआई) - 16/2025

विषय : मिस्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रोल में फेस्ड ग्लास वूल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत – के संबंध में।

1. **फा. सं. 6/18/2025**.— मेसर्स यू.पी. ट्विगा फाइबर ग्लास लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे ''नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष मिस्र (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से "रोल्स

में फेस्ड ग्लास वूल" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या पीयूसी भी कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "रोल में फेस्ड ग्लास वूल" है जिसे फाइबर ग्लास वूल (इन्सुलेशन मटेरियल) या रेजिन बॉन्डेड ग्लास वूल भी कहा जाता है। विचाराधीन उत्पाद भारत में कई रूपों में आयात किया जाता है जैसे रोल, स्लैब, शीट आदि। वर्तमान याचिका विचाराधीन उत्पाद को तब कवर करने की मांग करती है जब उन्हें भारत में रोल में आयात किया जाता है।

3. ग्लास वूल में कंबल और स्लैब/बोर्ड बनाने के लिए बाइंडर के साथ संयुक्त महीन ग्लास फाइबर होते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लास को फाइबराइजिंग मशीन से गुजारना और स्पिनरों से नियंत्रित तरीके से फाइबर को रोटेटिंग स्पिनरों की केन्द्रापसारक क्रिया द्वारा निकालना शामिल है, बाइंडर को एक साथ स्प्रे किया जाता है और फिर रोल, कंबल आदि बनाने के लिए क्योरिंग ओवन से गुजारा जाता है।

4. ग्लास वूल में आम ग्लास बनाने वाले कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसमें आमतौर पर सिलिका सैंड, सोडा ऐश (सोडियम कार्बोनेट), फेल्डस्पार, डोलोमाइट, चूना पत्थर और बोरेक्स पेंटाहाइड्रेट शामिल होते हैं। उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री में रिसाइकिल ग्लास कललेट और खरीदी गई शीट ग्लास कललेट शामिल हैं। कच्ची सामग्री को बैच मिक्सिंग प्रक्रिया में मिश्रित किया जाता है, उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल फर्नेस/गैस फर्नेस में एक साथ डाला जाता है, जहां इसे लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। धारा को भट्ठी से टैप किया जाता है और फोरहर्थ नामक कंडीशनर में डाला जाता है, जहां कांच को ऐसे तापमान पर लाया जाता है जहां इसे फाइबराइज़ किया जा सकता है।

5. इस उत्पाद का मुख्य उपयोग धातु और कंक्रीट की इमारतों के निर्माण, इमारतों की कूलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ध्वनिक अनुप्रयोग, जहाज निर्माण, रेलवे और ऑटोमोबाइल सहित परिवहन उद्योग में होता है। इस उत्पाद में गैर-दहनशील और अग्नि सुरक्षित गुणों के अलावा बेहतर थर्मल और ध्वनिक प्रदर्शन की अंतर्निहित शक्ति है। इस उत्पाद का उपयोग करके भवन उच्च ऊर्जा दक्षता प्राप्त करती हैं और इस उत्पाद के अनुप्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए बढ़ रहे हैं।

6. संबद्ध उत्पादों को अध्याय शीर्षक 70 "ग्लास और ग्लासवेयर" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तुओं का आयात सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 70198000, 70199000, 70199010, 70199090, 70191900, 70193900, 70195900 आदि के अंतर्गत किया जा रहा है। किसी भी मामले में, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक उद्देश्यों के लिए है और शुल्क लगाने और संग्रहण के लिए वस्तुओं का विवरण ही मान्य होगा।

7. आवेदक ने उत्पाद के विभिन्न प्रकारों/रूपों के बीच निष्पक्ष तुलना के उद्देश्य से उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) को अपनाने का प्रस्ताव दिया है। आवेदक ने मूल जांच में विचार किए गए अनुसार मोटाई, घनत्व और फेसिंग के प्रकार के आधार पर पीसीएन प्रणाली का प्रस्ताव दिया है। आवेदक द्वारा सुझाई गई पीसीएन पद्धति नीचे दी गई है।

8. प्रस्तावित पीसीएन में, पहले दो अंक उत्पाद के घनत्व (किलोग्राम/मीटर क्यूब में) को दर्शाते हैं, अगले तीन अंक उत्पाद की मोटाई (मिलीमीटर में) को दर्शाते हैं, अगले दो अंक पहले फेसिंग के प्रकार को दर्शाते हैं और अंतिम दो अंक नीचे दिए गए कोड के अनुसार दूसरे फेसिंग के प्रकार को दर्शाते हैं। यदि कोई दूसरा फेसिंग नहीं है, तो हितबद्ध पक्षकार "00" का उपयोग कर सकता है।

9. विभिन्न फेसिंग के लिए कोडिंग निम्नानुसार प्रस्तावित है

फेसिंग के प्रकार	पीसीएन में संगत संख्या
एएलजी	01
बीजीसी	02
बीजीटी	03
डीएसएफएसके	04
एफजीटी	05
एफएसके	06
एमपीएफ	07
आर 303 एचडी	08
डब्लूएमपी-50	09
डब्ल्यूएमपी-वीआर	10
डब्ल्यूएमपी-वीआर आर प्लस	11
कोई भी	12
कोई नहीं (केवल दूसरे फेसिंग के मामले में)	00

10. उदाहरण के लिए 12 किलोग्राम/मी3 घनत्व, 100 मिमी मोटाई और एफएसके की पहली फेसिंग तथा दूसरी फेसिंग न होने वाले ग्लास वूल के लिए पीसीएन 12-100-06-00 होगा।

11. वर्तमान जांच के पक्षकार विचाराधीन उत्पाद तथा निम्नलिखित प्रस्तावित पीसीएन (औचित्य साहित),यदि कोई हो तो जांच की शुरूआत की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दे सकते हैं। औचित्य के बिना किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ख. <u>समान वस्तु</u>

12. समान वस्तु के संबंध में नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

13. आवेदक ने अनुरोध किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, कार्यों और अंतिम प्रयोगों में कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा, आवेदक ने यह भी दावा किया है कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए उन्हें पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

14. नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल

घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

15. यह आवेदन मेसर्स यू.पी. ट्विगा फाइबर ग्लास लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक देश में कुल घरेलू उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा रखता है। उन्होंने इस आशय के आवश्यक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किए हैं कि उन्होंने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अर्थ में याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

16. वर्तमान जांच में संबद्ध देश मिस्र है।

ड. <u>जांच अवधि (पीओआई)</u>

17. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच अवधि शामिल होगी।

च. <u>पाटन मार्जिन की गणना</u>

i. <u>सामान्य मूल्य</u>

18. आवेदक ने दावा किया है कि उसके पास घरेलू बिक्री कीमत के बारे में किसी भी साक्ष्य या मिस्र में उत्पादकों की वास्तविक उत्पादन संबंधी किसी जानकारी तक पहुंच नहीं है। अत: घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ मार्जिन के साथ विधिवत रूप से समायोजित किया गया है। जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर मिस्र में संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य परिकलित किया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है।

ii. <u>निर्यात कीमत</u>

19. मिस्र से संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात कीमत की गणना डीजी सिस्टम के सौदावार आयात आंकड़ों के अनुसार की गई है। मिस्र के लिए कीमत समायोजनों में समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय और कमीशन/व्यापारी के लाभ का दावा किया गया है।

iii. <u>पाटन मार्जिन</u>

20. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या सिद्ध करता है कि पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक है और मिस्र से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारत मे घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति का आरोप और कारणात्मक संबंध</u>

21. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें कम हुई हैं तथा कीमतों में ऐसी वृद्धि नहीं हो पाई है, जो अन्यथा हो गई होती। घरेलू उद्योग को कम आयात कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने तथा अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए गैर-लाभकारी कीमतों पर बिक्री के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो क्षति अवधि में खराब हो गई है। ऐसी कीमतों पर बिक्री के बावजूद, घरेलू उद्योग ने मालसूची एकत्रित कर ली है। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं, जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने को उचित ठहराते हैं।

ज. जांच की शुरूआत

22. आवेदक या घरेलू उद्योग की ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और विचाराधीन उत्पाद के पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति को सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी एतदद्वारा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी वास्तविक क्षति के संबंध में एक पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी ।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

23. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

24. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

25. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. समय सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें। जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

31. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

32. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय हो और/या ऐसी अन्य सूचना जिसके सूचना प्रदाता द्वारा के गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता के दावे वाली सूचना के सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

34. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है और गोपनीयता का दावा की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।

35. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषयवस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

36. हितबद्ध पक्षकार अनुरोधों के आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं ।

37. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त कारण के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीयता के दावे को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

38. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

39. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश ई-मेल के जरिए भेज दें ।

ढ. <u>असहयोग</u>

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा या बाद में अलग पत्र द्वारा प्रदत्त समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi,the 16th June,2025

Case No. AD(OI)- 16/2025

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Faced Glass Wool in Rolls originating in or exported from Egypt – reg.

1. F. No.6/18/2025: M/s U.P. Twiga Fiberglass Limited (hereinafter also referred to as the "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for imposition of Anti-dumping duty on imports of "Faced Glass Wool in Rolls" (hereinafter also referred to as the "subject goods or PUC") from Egypt (hereinafter also referred to as the "subject country").

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

2. The Product under Consideration in the present investigation is "Faced Glass Wool in rolls" also referred as Fiberglass Wool (Insulation Material) or Resin Bonded Glass Wool. The Product under Consideration is imported into India in many forms e.g., rolls, slabs, sheets etc. The present petition seeks to cover the Product under Consideration when they are imported into India in rolls.

3. Glass wool consists of fine glass fibers combined with binder to make blankets and slabs/boards. The process involves passing glass through a fiberizing machine and drawing fibers in a controlled manner from spinners by centrifugal action of rotating spinners, binder is sprayed simultaneously and then passed through curing oven to form rolls, blanket etc.

4. Glass wool uses common glass-making raw materials, typically consisting of Silica sand, soda ash (sodium carbonate), Feldspar, dolomite, limestone and Borax Penta hydrate. Other materials used are recycled glass cullet and bought out sheet glass cullet. The raw materials are mixed in a batch mixing process, then fed together into an electrical furnace/ gas furnace where it is heated to approximately 1500°C. The stream is tapped from furnace and is fed into a conditioner called forehearth where the glass is brought to a temperature where it can be fiberized.

5. The product finds major uses in construction of metal and concrete building, heating, ventilation and air conditioning system to provide cooling services to buildings, acoustic application, shipbuilding, transport industry including railways and automobiles. The product has inherent strength of superior thermal and acoustic performance in addition to non-combustible and fire safe properties. Buildings achieve high energy efficiency by using this product and applications of this product have been increasing for different purposes

6. The subject products are classified under Chapter Heading 70 "Glass and glassware". The subject goods are being imported under various sub-headings like 70198000, 70199000, 70199010, 70199090, 70191900, 70193900, 70195900 etc. of the Customs Tariff Act, 1975. In any case, the customs classification is for indicative purposes only and the description of goods shall prevail for the imposition and collection of duties.

7. The applicant has proposed adoption of Product Control Numbers (PCN) for the purpose of fair comparison between different types/forms of the product. The Applicant has proposed the PCN system on the basis of thickness, density and the type of facing. The PCN methodology suggested by the applicant is provided below.

8. In the proposed PCN, first two digits represent the density of the product (in Kg/metre cube), next three digits represent the thickness of the product (in millimeters), next two digits represent the type of first facing and the last two digits represent the type of second facing as per the codes given below. If there is no second facing, the interested party may use "00".

9. The coding for the different facings is proposed as follows:

Type of Facing	**Corresponding number in PCN**
ALG	01
BGC	02
BGT	03
DSFSK	04
FGT	05
FSK	06
MPF	07
R303 HD	08
WMP-50	09
WMP-VR	10
WMP-VR R Plus	11
Any other	12
None (only in case of second facing)	00

10. For instance, the PCN for Glass Wool of density as 12 Kg/m3, thickness of 100 mm and first facing of FSK with no second facing will be 12-100-06-00.

11. The parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and PCNs (with justification), if any, within 15 days of receiving intimation of the initiation of the investigation. Submissions made without justification will not be considered by the Authority.

B. <u>LIKE ARTICLE</u>

12. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which

although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

13. The applicant has submitted that subject goods which, are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. The applicant has further claimed that there are no differences either in the technical specifications, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. In addition, applicant also claimed that the two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like articles' under the Anti-Dumping Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

C. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

14. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

"'domestic industry' means the domestic producers as a whole of the Like Article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry"

15. The application has been filed by M/s U.P. Twiga Fiberglass Limited. The applicant is the sole producer of the subject goods in India. The Authority notes that the applicant holds 100% share in total domestic production in the country. They have also furnished necessary certifications to the effect that they have neither imported the subject goods from the subject country nor are they related to any exporter or importer of the subject goods from the subject country. Therefore, the Authority has considered the petitioner as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

D. SUBJECT COUNTRY

16. The subject country for the present investigation is Egypt.

E. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

17. The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1st January 2024 to 31st December 2024 (12 months). The injury investigation period shall cover the periods 2021-22, 2022-23, 2023 -24 and the period of investigation.

F. DUMPING MARGIN COMPUTATION

i. Normal Value

18. The applicant has claimed that it did not have access to any evidence of domestic selling price or information regarding actual cost of production of the producers in Egypt. Therefore, the domestic industry has constructed the normal value based on the best estimates of cost of production in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin. The Authority, for the purpose of initiation of the investigation constructed the normal value in Egypt for the subject goods on the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profit margin.

ii. **Export Price**

19. The export price for subject goods from Egypt has been computed based on the DG Systems transaction wise import data. Price adjustments for Egypt have been claimed on account of ocean freight, inland freight, ocean insurance, bank charges, port expenses and commission/trader's profit.

iii. **Dumping Margin**

20. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the de minimis level and is significant with respect to the product under consideration from Egypt. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

G. ALLEGATION OF INJURY AND CASUAL LINK

21. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished prima facie evidence establishing that the imports have caused material injury to the domestic industry. The imports are undercutting the prices of the domestic industry. The imports have prevented price increases, which otherwise would have occurred. The domestic industry has been forced to sell at non-remunerative prices in order to compete with the low import prices and to maintain its market share. This has adversely impacted the profitability of the domestic industry which has deteriorated in the injury period. Despite selling at such prices, the domestic industry has accumulated inventories. There is sufficient prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry due to the dumped imports from the subject country to justify initiation of anti-dumping investigation.

H. INITIATION OF THE INVESTIGATION

22. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating the dumping of product under consideration and subsequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation into the alleged dumping and consequent material injury to the domestic industry in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the Domestic Industry.

I. PROCEDURE

23. The provisions stipulated in Rule 6 of the Rule shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

24. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email address jd11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

25. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

26. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

28. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

K. TIME LIMIT

29. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses jd11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

30. All the interested parties are here by advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the ADD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

31. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the same may lead to rejection of the response / submissions

32. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non- confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

33. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

34. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

35. The non-confidential summary must be sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the submissions.

37. Any submission made without a meaningful non-confidential version there of or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

39. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

40. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

41. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.18 12:22:28 +05'30'